भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

तारांकित प्रश्न संख्या. *15

(जिसका उत्तर सोमवार, 25 नवंबर, 2024/4 अग्रहायण (शक) को दिया गया)

सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलेरेटेड कॉरपोरेट एग्जिट (सी-पेस) की स्थिति

***15. श्री महेश कश्यप**
श्री प्रवीण पटेल

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कंपनियों की 'स्ट्राइक ऑफ' प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलेरेटेड कॉरपोरेट एग्जिट (सी-पेस) की स्थापना की स्थिति क्या है;
(ख) 'अनुपालन में सुगमता' और 'व्यवसाय करने में सुगमता' को बढ़ावा देने की दिशा में हासिल की गई अन्य उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और
(ग) अनुपालन में सुगमता और व्यवसाय करने में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्रीमती निर्मला सीतारमण)**

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

जारी...2/-

'सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलेरेटेड कॉरपोरेट एग्जिट (सी-पेस) की स्थिति' के संबंध में दिनांक 25 नवंबर, 2024 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित- प्रश्न *15 के भाग (क), (ख), और (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क): सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलेरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट (सी-पेस) की स्थापना **एमसीए अधिसूचना संख्या का.आ. 1269(अ) दिनांक 17 मार्च 2023** के माध्यम से की गई की ताकि भारत में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' की सुविधा के लिए फास्ट-ट्रैक मोड में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कंपनियों की स्वैच्छिक स्ट्राइक-ऑफ प्रक्रिया को केंद्रीकृत और तेज किया जा सके।

इसकी स्थापना के बाद से वित्तीय वर्ष 2023-24 में आरओसी सी-पेस के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के तहत 13,560 कंपनियों और चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में 15 नवंबर, 2024 तक 11,855 कंपनियों को स्ट्राइक ऑफ कर दिया गया है। ऐसे आवेदनों को संसाधित करने में लगने वाला औसत समय घटकर 70-90 दिनों के बीच हो गया है।

5 अगस्त 2024 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 475 (अ) के माध्यम से मंत्रालय ने एलएलपी को स्ट्राइक ऑफ करने से संबंधित ई-प्ररूप के प्रसंस्करण के लिए सी-पेस को सशक्त बनाकर सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) को स्ट्राइक ऑफ करने का केंद्रीकरण किया है।

27 अगस्त 2024 से, आरओसी सी-पेस के माध्यम से एलएलपी को स्ट्राइक ऑफ करने के प्रसंस्करण के लिए ई-प्ररूप चालू कर दिए गए हैं और 15 नवंबर, 2024 की स्थिति को, सीमित देयता भागीदारी नियम 2009 के नियम 37के साथ पठित, सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 75 के तहत 3,264 एलएलपी को हटा दिया गया है।

(ख) और (ग): व्यवसाय करने में आसानी में सुधार लाने और अनुपालन में आसानी बढ़ाने के लिए, एमसीए ने हाल के दिनों में कई कदम उठाए हैं जिनमें कुछ प्रमुख कदम शामिल हैं: -

(i) कंपनी और एलएलपी अधिनियमों के तहत 63 अपराधों का विअपराधीकरण। कारपोरेटों को राहत प्रदान करते हुए, गैर-अपराधीकरण का एक उद्देश्य न्यायिक न्यायालयों में मुकदमेबाजी के बोझ को कम करना और अभियोजन मामलों को न्यायनिर्णयन की ओर स्थानांतरित करना भी रहा है;

जारी...3/-

(ii) 54 से अधिक प्ररूपों को स्ट्रेट थ्रू प्रोसस (एसटीपी) में परिवर्तन करना, जिसके लिए पहले क्षेत्रीय कार्यालयों के अनुमोदन की आवश्यकता थी;

(iii) कंपनी के निगमन के समय एक ही स्थान पर विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए नाम आरक्षण, निगमन, पैन, टैन, डीआईएन, ईपीएफओ पंजीकरण, ईएसआईसी पंजीकरण, जीएसटी संख्या, बैंक खाता खोलने आदि जैसी विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए एजाइल प्रो-एस नामक एक लिंक्ड प्ररूप के साथ ई-प्ररूप स्पाईस+ पेश करना। इसी तरह, एक ही आवेदन में समान सेवाएं प्रदान करने के लिए नया ई-प्ररूप एफआईएलएलआईपी (सीमित देयता भागीदारी के निगमन के लिए प्ररूप) पेश किया गया था;

(iv) लघु कंपनी की प्रारंभिक सीमा को बढ़कर लघु कंपनी की परिभाषा में संशोधन किया गया है जिसमें लघु कंपनी की प्रदत्त पूंजी जो 2.00 करोड़ रुपए से 4.00 करोड़ रुपए से अधिक न हो और टर्नओवर 20.00 करोड़ रुपए से 40.00 करोड़ रुपए से अधिक नहो, को बढ़ाकर कर दिया गया है। इसी प्रकार, छोटे एलएलपी की अवधारणा पेश की गई है जो अनुपालन की लागत को कम करने के लिए कम अनुपालन, कम शुल्क के अध्यधीन है;

(v) निगमन प्रक्रिया में एकरूपता प्रदान करने के लिए निगमन के लिए एक केंद्रीकृत रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (सीआरसी) की स्थापना;

(vi) एसटीपी के तहत फाइल ई-प्ररूपों की केंद्रीकृत जांच के लिए एक केंद्रीय जांच केंद्र (सीएससी) की स्थापना;

(vii) निर्दिष्ट गैर-एसटीपी ई-प्ररूपों के केंद्रीकृत प्रसंस्करण के लिए एक केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) की स्थापना;

(viii) कंपनी अधिनियम से संबंधित अपराधों के निर्णय के लिए एक ई-एडजुडिकेशन पोर्टल की स्थापना;

(ix) 15.00 लाख रुपये तक की अधिकृत पूंजी वाली कंपनी के निगमन के लिए शून्य शुल्क;

जारी...4/-

(x) कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत विलय के लिए विस्तारित फास्ट ट्रैक प्रक्रिया में अन्य स्टार्टअप और लघु कंपनियों के साथ स्टार्टअप के विलय को शामिल किया गया है, ताकि विलय और समामेलन की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके;

(xi) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 233 (प्रादेशिक निदेशकों के अनुमोदन के माध्यम से त्वरित विलय और समामेलन) का दायरा बढ़ाया गया। अब इसमें भारत के बाहर निगमित एक हस्तांतरणकर्ता विदेशी कंपनी (एक होल्डिंग कंपनी होने के नाते) का भारत में निगमित अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के साथ विलय भी शामिल है;

(xii) किसी कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के स्थानांतरण के लिए शून्य लागत;

(xiii) वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) के माध्यम से एक कंपनी की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) और असाधारण आम बैठक (ईजीएम) आयोजित करना;

(xiv) कंपनी (अनुमत क्षेत्राधिकारों में इक्विटी शेयरों की लिस्टिंग) नियम, 2024 जारी किए गए हैं, जिसमें भारतीय सार्वजनिक कंपनियों को जीआईएफटी आईएफएससी में अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (जों) पर अपने इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करने की अनुमति दी गई है।

*****